



Helpline

1064



94135-02834

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- अजमेर में ई-मित्र संचालक तथा एक अन्य (प्राईवेट व्यक्ति) 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 20 अक्टूबर / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई द्वारा आज बुधवार को ब्यावर में कार्यवाही करते हुये डूंगर सिंह ई-मित्र संचालक सारौठ चौराहा देवाता, पं.स. जवाजा, जिला अजमेर एवं उसके सहयोगी चुन्नी सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने के कारण उसे सरकार से मिलने वाली 3 लाख रुपये की सहायता राशि के लिये सरकारी चिकित्सक से सिलिकोसिस रोगी प्रमाण पत्र बनवाने एवं सहायता राशि स्वीकृत की करवाने की एवज में डूंगर सिंह ई-मित्र संचालक सारौठ चौराहा देवाता, पं.स. जवाजा, जिला अजमेर एवं दलाल चुन्नी सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा 1 लाख 30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के पुलिस अधीक्षक श्री समीर कुमार सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल, पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये डूंगर सिंह उर्फ कुशाल सिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह रावत निवासी देवडूंगरी, पोर्ट बरार, जिला राजसमंद हाल ई-मित्र संचालक सारौठ चौराहा देवाता, पं.स. जवाजा, जिला अजमेर एवं उसके सहयोगी चुन्नी सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह रावत निवासी सुरडिया, थाना जवाजा, जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा परिवादी से सहायता राशि स्वीकृत कराने के नाम पर पहले ही 50 हजार रुपये तथा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी 10 हजार रुपये रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।